न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी राजगढ़(अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार (R.A.S)
कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत गोलाकाबास

वाद संख्या–2 / 26 / 2018

अनुवान

1. रामसुखा पुत्र लिक्ष्मन गुर्जर नि0 कान्या बास तह0 राजगढ़ –प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलक्टर महोदय अलवर – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र 212(2) आरटीएक्ट

24.05.2018 आज यह पत्रावली वास्ते निणर्य कैम्प कोर्ट गोला का बास पर स्वप्रेरणा से वास्ते निर्णय पेश की प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212(2)आरटीएक्ट का पेश कर निवेदन किया है कि गत खसरा न0 419 रकबा 3 बीघा 15 बीस्वा हाल खसरा न0 440 / 0.07, 441 / 0.04, 462 / 0.07 463 / 0.25, 477 / 0.37, 478 / 0.11, 479 / 0.43 480 / 0.45, 480 / 492 / 0.19 420 / 501 / 0.05 वाके ग्राम कान्या बास तह0 राजगढ़ में स्थित है का इंतजाम काश्त व इंतजाम आराजी किये जाने के लिए किसी भी साहब मौजीज को रिसिवर फरमाने का आदेश किया जावे।

मैनें पत्रावली का स्वप्रेरणा से वास्ते निर्णय हेतु अवलोकन किया गया। जैसाकि उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.01.2003 को इस न्यायालय में पेश किया गया है तथा उक्त प्रार्थना पर आज दिनांक तक आदेश जारी नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की पुष्टि में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे कि आराजी की रिसिवर की कार्यवाही की जावे अर्थात प्रथम दृष्टया यह साबित नहीं है कि आराजी विवादित को लेकर पक्षकारान में वर्तमान में भी कब्जे काश्त को लेकर तनाजा हो।इसी आराजी बाबत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट का जो दिनांक 22.05.2001 को पेश किया गया था। जिसका वाद संख्या 2 / 25 / 2018 वर्तमान में है उक्त प्रार्थना पत्र में भी अप्रार्थीगण के विरूद्ध अंतरिम अस्थाई निषेद्याज्ञा भी जारी नहीं हुई है। इस प्रकार प्रथम दृष्टया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज से प्रार्थना पत्र प्रार्थी की पुष्टि नहीं होती है। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिल अस्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212(2) आरटीएक्ट हाल खसरा न0 440/0.07, 441/0.04, 462/0.07 463/0.25, 477/0.37, 478/0.11, 479/0.43 480/0.45, 480/492/0.19 420/501/0.05 वाके ग्राम कान्या बास तह0 राजगढ़ अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2018 को लिखाया जाकर कैम्प कोर्ट गोलाकाबास पर सुनाया।

(पवन कुमार आर.ए.एस)
उपखण्ड़ अधिकारी राजगढ़
कैम्प कोर्ट गोलाकाबास